न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –81/2023
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2023/90

अपीलान्टबनाम	**रेस्पोडेन्ट्स**
प्रेमाराम पुत्र श्री रामाकिशन जाति–जाट निवासी–सिंवरो जाटो की ढाणियां हिगोनियां, तहसील व जिला नागौर (राजस्थान)	1. भीखाराम पुत्र श्री लादूराम जाति–जाट, निवासी माण्डेली ,तहसील व जिला नागौर (राजस्थान) 2. तहसीलदार जी नागौर जिला नागौर (राज.)

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री बाबूलाल भादू
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र बिश्नोई एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां।

:: निर्णय ::

दिनांक :–10.01.2024

अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28.03.2023 कमांक/भू.अ./2023/1631 तहसीलदार भू0अ0,नागौर बाबत् नामान्तररण संख्या 505 दिनांक 20.01.2023 सरपंच ग्राम पंचायत झाडीसरा बाबत् खसरा नम्बर 165 ग्राम जाजोलाई नामान्तरकरण को शुद्वि पत्र संख्या 03 दिनांक 28.03.2023 को तहसीलदार,नागौर द्वारा निरस्ती आदेश से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 25.04.2023 को प्रस्तुत की है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त हो जाने पर एवं रेस्पोडेन्टान की पर्याप्त तामिले हो जाने के बाद वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट का दौराने बहस कथन हैं कि ग्राम जाजोलाई के हाल खेत खसरा नम्बर 165 रकबा 4.2735 हेक्टर बारानी दोयम के एक मात्र खातेदार भीखाराम पुत्र श्री लादूराम जाति–जाट, निवासी–माण्डेली, तहसील व जिला नागौर वाले ने उक्त अपने खातेदारी अधिकार का विक्रय पत्र दिनांक 30.12.2022 को अपीलान्ट प्रेमाराम पुत्र रामाकिशन, जाति–जाट, निवासी–सिंवरो जाटो की ढाणियां हिगोनिया,तहसील व जिला नागौर के पक्ष में सम्पूर्ण खसरे के रकबे का विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय, नागौर में दिनांक 30.12.2022 को करवा दिया जिसके आधार पर

कलक्टर नागौर

संबंधित ग्राम पंचायत झाड़ीसरा के सरपंच व्दारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर हल्का पटवारी व्दारा नामान्तरकरण संख्या 505 दिनांक 16.1.2023 को नामान्तकरण प्रपत्र भरकर जांच हेतु संबंधित भू निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका अंकन सही मानते हुए दिनांक 16.1.2023 को जांच का अंकन सही होने की रिपोर्ट कर दिनांक 19.1.2023 को हस्ताक्षरित किया जिसको ग्राम पंचायत झाडीसरा के सरपंच व्दारा दिनांक 20.1.2023 को तस्दीक/स्वीकृत किया गया जिसका अंकन भी नकल खतोनी में इन्द्राज हो गया। तत्पश्चात संबंधित तहसीलदार,नागौर व्दारा दिनांक 28.3.2023 को पत्र क्रमांकः भू.अ./2023/1631 को हल्का पटवारी झाडीसरा को एक पत्र प्रेषित कर दिनांक 28.3.2023 को ही बिना किसी आदेश व बिना किसी कानून के नामान्तरकरण पत्र के पृष्ठ के पीछे यह अंकित किया कि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय,नागौर प्रार्थी कानाराम बनाम अप्रार्थीगण भीखाराम वगैरा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 5/2022 तारीख आदेशिका 24.11.2022 के व्दारा अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी होने की अवधि में नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत हो जाने से माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश को सर्वोपरि मानकर रेकर्ड की यथास्थिति बहाल करने के लिए शुद्धि पत्र संख्या 03 दिनांक 28.3.2023 के जरिए रेकर्ड की पूर्वस्थिति बहाल रखी गई है। शुद्धि पत्र नामान्तरकरण संख्या 505 का हिस्सा रहेगा। इस तरह का आदेश पारित कर विवादित नामान्तरकरण संख्या 505 को निरस्त करते हुए पूर्व की स्थिति बहाल की हैं। तहसीलदार,नागौर द्वारा अपीलाधीन जैर आदेश मय म्यूटेशन जैर अपील विधि की प्रक्रिया अपनाये बिना एवं तथ्यो की जांच किये बिना जारी किया हैं जो आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क था कि तहसीलदार व्दारा नामान्तरकरण संख्या 505के पृष्ठ के पीछे शुद्धि पत्र संख्या 03 दिनांक 28.03.2023 के व्दारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल की गई है शुद्धि पत्र केवल मात्र पूर्व में रेकर्ड का कोई अंकन गलत हो जाता है उसको दुरूस्त व सही करने के लिए भरा जाता है जबकि हस्तगत प्रकरण में कोई अंकन व रेकर्ड में अशुद्धि नहीं रही है इसलिए शुद्धि पत्र के जरिए किसी भी नामान्तरकरण को निरस्त करने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है इसलिए तहसीलदार,नागौर व्दारा उक्त प्रक्रिया विधि के विरूध्द एवं कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना आनन–फानन में आदेश पारित किया गया है जो गलत विधि विरूध्द तथा कानूनी प्रक्रिया के विपरीत होने से उक्त तहसीलदार जी का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट ने यह भी तर्क किया कि अगर कोई नामान्तरकरण गलत रूप से भर दिया जाता है तो उसको अपास्त कराने के लिए सक्षम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत है जबकि तहसीलदार जी व्दारा उक्त प्रक्रिया की पालना नहीं करके स्वयं ने बिना अधिकार के बिना कानून के कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर शुद्धि पत्र को आधार बनाकर गलत रूप से विधि की प्रक्रिया अपनाये बिना हस्तगत नामान्तरकरण को अपास्त किया है। हस्तगत नामान्तरकरण संख्या 505 दिनांक 20.1.2023 को बेचान पत्र दिनांक 30.12.2022 के आधार पर हल्का पटवारी व्दारा

कलक्टर नागौर

नामान्तरकरण प्रपत्र भरकर दिनांक 16.1.2023 को जांच हेतु भू निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जिसने अंकनो को सही मानते हुए हस्ताक्षरित किया तत्पश्चात ग्राम पंचायत झाडीसरा के सरपंच ने उक्त नामान्तरकरण को दिनांक 20.1.2023 को स्वीकृत किया जो विधि सम्मत नामान्तरकरण भरा गया था। उक्त नामान्तरकरण को अगर स्थगन आदेश में भरा गया है तो अपास्त कराने के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी के यहां अपील का प्रावधान है तत्पश्चात अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही है तो संबंधित ग्राम पंचायत में पुनरावलोकन का प्रावधान है तथा उक्त नामान्तरकरण को शुद्धि पत्र के जरिए तहसीलदार जी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होने से इस आधार पर तहसीलदारजी का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। जिस स्थगन आदेश का तहसीलदार जी नागौर व्दारा हवाला दिया गया है वो स्थगन आदेश तहसीलदार जी नागौर के विरूध्द जारी हो रखा है। तहसीलदार जी नागौर ने उक्त स्थगन आदेश की जानकारी होने के पश्चात जानबूझकर स्थगन आदेश की अवहैलना करते हुए एवं अपना निजी हित साधते हुए रेकर्ड में हेराफेरी की है तथा स्थगन आदेश के बावजूद शुद्धि पत्र जारी कर यथास्थिति के आदेश की अवहेलना करते हुए आदेश जारी कर प्रविष्टिया बदलवायी है इस तरह का आदेश जारी करना एवं बाद स्थगन आदेश जानकारी होने के बाद प्रविष्टि चेन्ज करना एवं नामान्तरकरण को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल करना न्यायालय के आदेश की अवमानना में आता है इसलिए तहसीलदार जी नागौर ने न्यायालय के आदेश की अवमानना की है।

अतः निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश शुद्धि पत्र संख्या 03 दिनांक 28.03.2023 कार्यालय तहसीलदार भू.अ. नागौर क्रमांकःभू.अ./2023/1631 दिनांक 28.03.2023 के आदेश को अपास्त कर नामान्तरकरण संख्या 505 दिनांक 20.1.2023 जो ग्राम पंचायत झाडीसरा व्दारा भरा गया उसको बहाल करने का आदेश प्रदान करावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौराने बहस अपील स्वीकार किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया हैं।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकरण की स्थिति इस प्रकार हैं :–

(1)–ग्राम जाजोलाई नामान्तरकरण संख्या 505 की प्रविष्टियों के अनुसार पटवारी हल्का झाडीसरा द्वारा विकय पत्र दिनांक 30.12.2022 से नामान्तरकरण दर्ज कर वास्ते जांच व निस्तारण हेतु पेश किया हैं तथा उसमें यह भी अंकित किया हैं कि उक्त भूमि स्थगन आदेश से प्रभावित नहीं हैं। भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी जांच में अंकन सही हैं लिखा हैं तथा सरपंच,ग्राम पंचायत झाडीसरा द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत का आदेश दिनांक 20.01.2023 को पारित किया हैं।

(2)–ग्राम जाजोलाई के शुद्विपत्र संख्या 3 दिनांक 28.03.2023 में पटवारी हल्का पटवार मण्डल झाड़ीसरा द्वारा यह अंकित किया हैं कि श्रीमान् तहसीलदार साहब नागौर के आदेश कमांक/भू0अ0/2023/1613 दिनांक 28.03.2023 की अनुपालना में शुद्वि पत्र दर्ज

कलक्टर नागौर

कर वास्ते जांच एवं निर्णय हेतु पेश हैं। इस शुद्वि पत्र में पूर्व खातेदार भीखाराम पुत्र लादूराम जाति–जाट सा. माण्डेली के नाम पुनः खातेदारी दर्ज का अंकन किया हैं। भू0 अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी जॉच में जॉच की,मुताबिक आदेश अंकन सही हैं लिखा हैं तथा तहसीलदार,नागौर द्वारा दिनांक 28.03.2023 को स्वीकार का आदेश पारित किया हैं। एवं नामान्तरकरण संख्या 505 की पुस्त पर यह अंकित किया हैं कि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय),नागौर प्रार्थी कानाराम बनाम अप्रार्थीगण भीखाराम वगैरह किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 105/सन् 2022 तारीख हुक्म 24.11.2022 के द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी होने की अवधि में नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत हो जाने से माननीय न्यायालय के स्थगन ओदश को सर्वोपरि मानकर रेकर्ड की यथास्थिति बहाल करने के लिए शुद्वि पत्र संख्या 03 दिनांक 28.03.2023 के जरिये रेकार्ड की पूर्व स्थिति बहाल की गई हैं। शुद्वि पत्र नामान्तरकरण संख्या 505 का हिस्सा रहेगा।

उपरोक्त इन्द्राजों के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि ग्राम पंचायत झाडीसरा द्वारा ग्राम जाजोलाई के नामान्तरकरण संख्या 505 को जरिऐ विक्रय पत्र के दिनांक 20.01.2023 को स्वीकृत किया गया हैं। इस स्वीकृत शुदा नामान्तरकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार,नागौर द्वारा आदेश क्रमांक/भू0अ0/2023/1631 दिनांक 28.03.2023 जारी कर माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण पुनः राजस्व रेकार्ड की स्थिति बहाल का आदेश पारित किया तथा इस आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा शुद्वि पत्र भरकर तहसीलदार,नागौर को निर्णय हेतु पेश किया,जिसे तहसीलदार,नागौर द्वारा स्वीकार किया गया हैं। इस प्रकार तहसीलदार,नागौर द्वारा ग्राम पंचायत के स्वीकृत सुदा नामान्तरकरण के सम्बन्ध में शुद्वि पत्र संख्या 505 में स्वीकृत आदेश जारी किया हैं,यह आदेश विधि विरूद्व हैं,क्योंकि नामान्तरकरण के मामले में शुद्व पत्र दर्ज कर स्वीकृत नहीं किया जा सकता हैं। इसलिए तहसीलदार,नागौर द्वारा शुद्वपत्र क्रम संख्या 03 दिनांक 28.03.2023 में पारित स्वीकृत आदेश दिनांक 28.03.2023 अपास्त किया जाता हैं। चूँकि नामान्तरकरण संख्या 505 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया हैं,इसलिए ग्राम पंचायत के आदेश की अपील सुनने का अधिकारी उपखण्ड अधिकारी को हैं,इसलिए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी,नागौर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) नागौर के स्थगन आदेश के प्रभावी रहते अगर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण निर्णित किया गया हैं तो इस नामान्तरकरण के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही करते हुए पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नामान्तरकरण पर विधिक निर्णय 06 माह की अवधि में पारित किया जावें।

तहसीलदार,नागौर की उपरोक्त कार्यवाही से न्यायालय सहायक कलक्टर,नागौर द्वारा जारी स्थगन आदेश में नामान्तरकरण संख्या 505 स्वीकृत हुआ हैं,इसलिए माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की पालना में यह आदेश दिया जाता हैं कि उपखण्ड अधिकारी,नागौर द्वारा जब तक इस प्रकरण का विधिवत निस्तारण नहीं किया जाता हैं,तब तक वर्तमान राजस्व रेकार्ड के इन्द्राज यथावत रहेंगे तथा उपखण्ड अधिकारी,नागौर के निर्णय के अनुसार ही राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज परिवर्तित होगें।

कलक्टर नागौर

इस प्रकरण में तहसीलदार,नागौर को आदेशित किया जाता हैं कि न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय),नागौर के स्थगन आदेश होने के बावजूद नामान्तरकरण 505 दर्ज करने वाले पटवारी एवं जांच करने वाले भू0अभिलेख निरीक्षक के विरूद्व नियमानुसार अनुशात्नात्मक कार्यवाही की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर